संख्या-386/2026/1479/22-2-2024-17(756)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल,2026

विषयः- जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री रामदुलारे, निवासी जनपद-संतकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27468/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 03-09-2024, दिनांक 09.09.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री रामदुलारे, बनकटिया, थाना-महुली, जनपद-संतकबीर नगर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 07.10.2018 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डण्डा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-21/2019 में भा०द०वि० की धारा- 147, 148, 504, 506, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01, संतकबीरनगर के दण्डादेश दिनांक 26.07.2023 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 08.04.2024 तक अपरिहार 01 वर्ष, 01 माह, 06 दिन तथा सपरिहार 01 वर्ष, 02 माह, 00 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, सन्तकबीर नगर द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने. जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाइ की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, संतकबीर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय (बन्दी संख्या-348/2023) पुत्र श्री रामदुलारे, निवासी जनपद-संतकबीर नगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-386/2026/1479(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, संतकबीर नगर।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, संतकबीर नगर।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।